न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R 1009-III/14

श्रीमती बती पुत्री उमरावी उर्फ उमराव,पत्नी लक्ष्मीप्रसाद कुशवाहा निवासी– ग्राम बिन्दपुरा दरगॉव तहसील जतारा जिला टीकमगढ, म0प्र .....आवेदिका

बनाम

1– सुकईया (मृत) वारिसान –
ए– श्रीमती कलाबाई (पत्नी)
बी– कैलाश (पुत्र)
सी– श्रीमती रति बेवा कमल
डी– लालाराम पुत्र कमल

2– चितुॅआ तनय उमरावी उर्फ उमराव कुशवाहा समस्त निवासीगण– बिन्दपुरा तहसील पृथ्वीपुर जिला– टीकमगढ, म0प्र0

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 31/01/2014 पारित द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी जिला – टीकमगढ म0प्र0 जो प्रकरण कमांक 102/अपील/2011 –12 में पारित कर अपीलार्थी की अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त की है। (एनेक्जर पी/1)

श्रीमान् जी,

आवेदिका की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक एवं अनावेदकगण के पूर्वज श्री उमराव उर्फ उमरावी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल संपत्ति कृषि भूमि स्थित ग्राम बिन्दपुरा तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ मे है। श्री उमराव का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

उमराव उर्फ उमरावी

उमरईया (पत्नी) सुकईया (पुत्र) चितुॅवा (पुत्र) श्रीमती बती (पुत्री)

आवेदिका श्रीमती बती उमराव उर्फ उमरावी की निज पुत्री है जो उमराव उर्फ उमरावी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति की समान भाग की स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्याधारी है। वर्तमान में श्रीमती उमरईया का भी स्वर्गवास हो चुका है ।

2– यह कि, राजस्व निरीक्षक पृथ्वीपुर द्वारा श्री उमरावी की मृत्यु के पश्चात् उनकी कृषि भूमि स्थित बिन्दपुरा का नामान्तरण पंजी कमांक 13/5 उत्तराधिकार के आधार पर किया गया लेकिन उक्त नामान्तरण में आवेदिका का नाम अंकित नही किया गया और नामान्तरण का प्रमाणीकरण पूर्णतः विधि के विपरीत किया गया । नामान्तरण की जानकारी ग्राम पटवारी द्वारा दिनांक 25/01/2012 को दिये जाने पर शीघ्र ही दिनांक 27/01/2012 को नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1009/III/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 102/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–1–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि आवेदिका मृतक खातेदार उमराव उर्फ उमरावी की पुत्री है जो प्रथम वर्ग की अनुसूची की वारिस है किन्तु उसे सूचना दिये बिना ही मृतक उमराव उर्फ उमरावी की ग्राम बिन्दपुरा की नामान्तरण पंजी पर गलत ढंग से नियम विरूद्व पटवारी ने गोपनीय करके से अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने हेतु नामांत्रण कार्यवाही करा दी और जब वास्तविक तथ्य बताते हुये एंव अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील की गई, अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बिन्दु पर अपील निरस्त कर आवेदिका को न्यायदान से बंचित किया है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त किया जावे। 3/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने आदेश दिनांक 31–1–14 से वर्ष 1971 में हुये नामान्तरण के विरूद्व दिनांक 03–02–2012 को अर्थात 40 वर्ष के	

अंतराल में अपील प्रस्तुत होने के कारण म्याद के वाहर होने से अग्राह्य किया है। विचारणीय है कि वर्ष 1971 में हुये नामान्तरण आदेश के विरूद्व दिनांक 03–02–2012 को 40 वर्ष के अंतराल में प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य है अथवा नहीं ?

1. **म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – परिसीमा और अंतर्निहित शक्ति तथा साम्या – जब कोई अपील समय–वर्जित हो, तब अपील न्यायालय उसे सुनने सक्षम नहीं है।**

4/ आवेदिका के अभिभाषक का तर्क है कि मृतक खातेदार उमराव उर्फ उमरावी की आवेदिका पुत्री है किन्तु नामान्तरण करते समय उसका नाम पंजी पर नहीं चढ़ाया और नामान्तरण कार्यवाही विधि विपरीत कर ली गई। वादग्रस्त नामान्तरण की कार्यवाही वर्ष 1971 में हुई है और आवेदिका वर्ष 1971 में हुये नामान्तरण की जानकारी वर्ष 2012 में होना बता रही है, जब उसे स्वयं की मृतक मॉ उमराव की मृत्यु की जानकारी एंव उसके नाम कृषि भूमि होने की जानकारी तत्समय रही है वर्ष 1971 से 2012 तक उसने नामान्तरण कार्यवाही के बारे में पता नहीं लगाया और वारिसाना आधार पर उसका भी नामान्तरण हुआ है अथवा नहीं – 40 वर्ष तक चुप बैठे रहना संदेह उत्पन्न करता है और इन्हीं कारणों से 40 वर्ष से अधिक अनुचित समय को अनुविभागीय अधिकारी ने क्षमा न करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है एंव इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी का आदेश दिनांक 31–1–14 हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 102/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31–1–14 स्थिर रहता है। पक्षकार टीप करें।

निगरानी कमांक : 1009/III/2014

अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जाय। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर